न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— रवि जैन
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 119/2019

दयालाराम सैनी पुत्र श्री भोलाराम सैनी निवासी नई सब्जी मंडी वार्ड नम्बर 07 वाया उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (प्रबन्धक) केन्द्रीय सहकारी बैंक उदयपुरवाटी।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक **24.07.2019**

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक **01.07.2019** को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर **119/2019** पर दिनांक **02.07.2019** को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (प्रबन्धक) केन्द्रीय सहकारी बैंक उदयपुरवाटी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (प्रबन्धक) केन्द्रीय सहकारी बैंक उदयपुरवाटी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (प्रबन्धक) केन्द्रीय सहकारी बैंक उदयपुरवाटी से इस कार्यालय के पत्रांक **पाठक/2019/933—34** दिनांक **02.07.2019** द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (प्रबन्धक) केन्द्रीय सहकारी बैंक उदयपुरवाटी ने पत्रांक **जेकेएसबी/90** दिनांक **24.07.2019** द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना चाही गई थी। प्रकरण में कार्यालय द्वारा अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 87 दिनांक 23.07.2019 द्वारा सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (प्रबन्धक) केन्द्रीय सहकारी बैंक उदयपुरवाटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना चाही गई थी। प्रकरण में कार्यालय द्वारा अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 87 दिनांक 23.07.2019 द्वारा सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक **24.07.2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलेक्टर झुन्झुनू